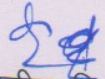
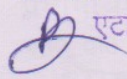


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद एवं तहसील एटा में एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० 1 से 20 तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण मार्ग निर्माण हेतु 22.80 हे० संरक्षित वन भूमि कोई हाथी कोरीडर/अभ्यारण्य/सैंचुरी की 10 किमी० की परिधि के बाहर आती है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,

एटा।
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग

 एटा